अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नैतिकता

अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता क्या है?

- अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता राष्ट्रों के बीच संबंधों को नियंत्रित करने वाली नैतिकता या आचार संहिता को संदर्भित करती है। आज का विश्व अनेक स्वतंत्र क्षेत्रीय राजनीतिक समुदायों में बँटा हुआ है। वे अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था का गठन करते हैं जिसे कभी-कभी अंतर्राष्ट्रीय कानूनी आदेश कहा जाता है।
- इस आदेश की मूल विशेषता राज्यों की 'संप्रभु समानता' है। संप्रभु समानता की वर्तमान अवधारणा मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्र चार्टर से ली गई है।

अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विश्लेषण तीन दृष्टकोणों से किया जा सकता है:

- राष्ट्र एक दूसरे के प्रति कैसा व्यवहार करते हैं और उनके व्यवहार के पीछे के कारण या प्रेरणाएँ।
- राष्ट्रों के लिये वांछनीय प्रकार के व्यवहार को निर्धारित करने के लिये कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन मानक रूप से कर सकता है।
- अंत में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन सरकारों को सलाह देने के लिये किया जा सकता है कि राष्ट्रीय हितों में विदेशी संबंधों का सर्वोत्तम संचालन कैसे किया जाए।

संप्रभुता क्या है?

- **संप्रभुता के बारे में:** राजनीतिक सिद्धांत के आधार पर संप्रभुता की परिभाषा, राज्य की निर्णय लेने की प्रक्रिया और व्यवस्था के रखरखाव में अंतिम पर्यवेक्षक या अधिकार है। संप्रभुता लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है, जो सैद्धांतिक रूप से निरपेक्ष और निरंकुश है।
    - यह सर्वोच्च राजनीतिक प्राधिकरण है जो एक राज्य अपने क्षेत्र के भीतर प्रयोग करता है। राज्य इन शक्तियों का प्रयोग अन्य राज्यों के किसी भी प्रतिबंध के बिना करते हैं।
- **राज्य और सरकार:** एक राज्य को सरकार से अलग करने की आवश्यकता होती है क्योंकि सरकारें अस्थायी होती हैं और एक निश्चित अवधि के लिये पद पर रहती हैं, और लोकतंत्र में, चुनाव के बाद उन्हें अन्य सरकारों द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है।
    - हालाँकि एक राज्य स्थायी होता है और तब तक रहता है जब तक वह अपने राजनीतिक समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है।
- **राष्ट्र बनाम राज्य: क्या अंतर है?**
    - राष्ट्र लोगों का एक ऐसा समूह है जो आमतौर पर स्वयं को 'एक' के रूप में सोचता है, क्योंकि वे कई चीज़ों को साझा करते हैं, जिनमें साझा क्षेत्र, इतिहास, संस्कृति, भाषा, धर्म और जीवन शैली शामिल है।
    - संवैधानिक व्यवस्थाओं का जिक्र करते हुए राज्य का एक संकीर्ण अर्थ है जो यह निर्धारित करता है कि एक राष्ट्र कैसे शासित होता है। या 'राज्य' का तात्पर्य सरकार की उस मशीनरी से है जो किसी दिये गए क्षेत्र में जीवन को व्यवस्थित करती है।
        - इस प्रकार, राज्य और उसके लोगों के बीच अंतर करना संभव है।
    - आधुनिक राष्ट्र बड़े पैमाने पर राष्ट्र राज्य (Nation State) हैं। प्राचीन काल से राज्य अस्तित्व में रहे हैं। हालाँकि, इतिहास में आधुनिक काल से पहले, देश ज़्यादातर राजशाही और साम्राज्य थे, जो राष्ट्रवाद की किसी भी भावना के बजाय एक शासक वंश के प्रति वफादारी से जुड़े हुए थे।
        - इतिहासकार अठारहवीं शताब्दी में राष्ट्रवाद के परे राष्ट्र राज्यों की उत्पत्ति का पता लगाते हैं। राष्ट्र राज्यों के लिये पहला आंदोलन इटली और जर्मनी में शुरू हुआ और बाद में दुनिया के अन्य हिस्सों में फैल गया।
    - कुछ देशों में, जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, राज्य में कई राष्ट्र शामिल हैं, और वे 'बहु-राष्ट्रीय समाज' हैं।
    - भारी आप्रवास वाले समाजों को बहुराष्ट्रीय के रूप में देखा जाता है। बहुराष्ट्रीय देश कभी-कभी विभिन्न समूहों के बीच गृह युद्धों के लिये प्रवृत्त होते हैं।

आंतरिक नीति और विदेश नीति के बारे में

- विदेश नीति एक देश के अन्य देशों के साथ संबंधों को निर्धारित करती है। विदेश नीति किसी देश की कूटनीति से भी निकटता से जुड़ी होती है। किसी देश की विदेश नीति को उसकी घरेलू या आंतरिक नीति से अलग माना जाता है।
    - इस प्रकार स्वास्थ्य या प्राथमिक शिक्षा के प्रति देश की नीति उसकी आंतरिक या घरेलू नीति का एक हिस्सा है। लेकिन क्या कोई देश अन्य देशों के साथ सैन्य व्यवस्था में शामिल होगा या नहीं यह उसकी विदेश नीति द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
- हालाँकि किसी देश की घरेलू और विदेशी नीतियों के बीच हमेशा कुछ अन्योन्याश्रयता होती है।

भारत की विदेश नीति की नैतिक जड़ें क्या हैं?

- यह जवाहरलाल नेहरू थे जिन्होंने भारत की विदेश नीति को आकार दिया महात्मा गांधी की सोच और दर्शन ने इसे बहुत प्रभावित किया। भारत की विदेश नीति उसके स्वतंत्रता संग्राम के गांधीवादी मूल्यों पर आधारित है।
- स्वतंत्रता के शुरुआती दशकों में भारत की विदेश नीति गांधीवादी विचारधारा पर आधारित थे। ये थे:
    - गुटनिरपेक्षता या स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करने और विदेश नीति के मुद्दों को गुण-दोष के आधार पर तय करने का अधिकार,
    - उपनिवेशवाद, नस्लवाद और रंगभेद के खिलाफ संघर्ष के लिये नैतिक, राजनयिक और आर्थिक समर्थन,
    - अहिंसा और परमाणु निरस्त्रीकरण, और
    - अंतर्राष्ट्रीय शांतिदूत के रूप में भारत की भूमिका।
- भारतीय विदेश नीति के समर्थक और आलोचक दोनों ही पंचशील संधि पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह भारतीय विदेश नीति में बहुत पहले के चरण में लागू था।

पंचशील संधि क्या थी?

- पंचशील संधि (यह शब्द संस्कृत से लिया गया, जिसमें पंच: का अर्थ पाँच और शील: का अर्थ गुण है) को इस अवधि की कूटनीति का उच्च वॉटरमार्क माना जाता है।
- इसमें राष्ट्रों के बीच शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व या राज्यों के बीच संबंधों को नियंत्रित करने के लिये पाँच सिद्धांत शामिल हैं।
    - संधि के रूप में उनका पहला औपचारिक संहिताकरण वर्ष 1954 में चीन और भारत के बीच एक समझौते के रूप में हुआ था।
- राज्यों को जिन पाँच सिद्धांतों को मानने का शपथ लेनी है, वे हैं:
    - एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिये परस्पर सम्मान
    - आपसी गैर-आक्रामकता
    - एक दूसरे के आंतरिक मामलों में पारस्परिक गैर-हस्तक्षेप
    - समानता और पारस्परिक लाभ
    - शांति और सहअस्तित्व
- पंचशील इस विश्वास पर आधारित है कि जो राज्य औपनिवेशिक युग के बाद स्वतंत्र हुए, वे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिये एक नया और अधिक सैद्धांतिक दृष्टिकोण विकसित करने में सक्षम होंगे।
    - बाद में बांडुंग (वर्ष 1955) में एशियाई-अफ्रीकी सम्मेलन के दस सिद्धांतों में पाँच सिद्धांतों को संशोधित रूप में शामिल किया गया। पाँच सिद्धांतों ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन का आधार बनाया, जो वर्ष 1961 में बेलग्रेड में शुरू हुआ था।
- यह भारत के लिये एक दुखद कहानी के रूप में समाप्त हुआ। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के परिणामस्वरूप वर्ष 1962 में युद्ध छिड़ गया।
    - पंचशील (अप्रैल 1954) समझौता आठ वर्ष तक के लिये निर्धारित किया गया था। जब यह व्यपगत हो गया, तो अनुबंध के नवीकरण प्रावधान पर विचार नहीं किया गया।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध के सिद्धांत क्या हैं?

- सबसे प्रमुख सिद्धांत यथार्थवाद और आदर्शवाद हैं, दोनों का एक लंबा इतिहास है। बीसवीं सदी में नवयथार्थवाद और नवउदारवाद लोकप्रिय हो गए हैं। उत्तर-आधुनिकतावाद और नारीवाद के सिद्धांतों ने भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांतों को कुछ प्रभावित किया है।

यथार्थवाद:

- यथार्थवाद एक पुराना सिद्धांत है जो स्पष्ट रूप से कहता है कि एक शासक को बाहरी दुश्मनों से खतरों का यथार्थवादी मूल्यांकन करना चाहिये और रक्षात्मक उपाय करना चाहिये। उसे केवल अन्य शासकों के अच्छे इरादों में विश्वास नहीं रखना चाहिये।
    - उसी समय, एक शासक को अच्छे व्यवहार के नियमों का पालन करना चाहिये। उसे कमज़ोर राज्यों पर हमला और कब्ज़ा नहीं करना चाहिये।
- आधुनिक यथार्थवादी विचारकों के अनुसार, सामान्य नियम बनाने और लागू करने वाले अधिकार के अभाव में, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र अनिवार्य रूप से एक स्व-सहायता प्रणाली है। प्रत्येक राज्य को अपना अस्तित्व सुनिश्चित करना है, अपने हितों को परिभाषित करना है और सत्ता मज़बूत रखना है।
- यथार्थवादियों के लिये, (राष्ट्र) राज्यों की दुनिया अराजक है और सुरक्षा किसी भी राज्य का प्रमुख लक्ष्य है। इसके लिये राज्य संभावित हमलावरों को रोकने के उद्देश्य से अपनी शक्ति बढ़ाने और शक्ति-संतुलन में संलग्न होने का प्रयास करते हैं।

आदर्शवाद:

- आदर्शवाद को उस भावना के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो किसी व्यक्ति या समूह को उनके आसपास प्रचलित नैतिक मानकों की तुलना में उच्च नैतिक मानकों को अपनाने के लिये प्रेरित करती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आदर्शवाद का पता उन प्रथाओं से लगाया जा सकता है जो पुराने समय में शासकों के बीच संबंधों को नियंत्रित करती थीं।
    - एक क्षेत्र, जिसमें अभ्यास संचालित होता था वह युद्ध था। समय के साथ ऐसे मानदंड उत्पन्न हुए जो युद्ध के संचालन, कैदियों के उपचार और आत्मसमर्पण करने वाले पराजित लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करते थे।
- नैतिक सिद्धांतों के पालन के अर्थ में आदर्शवाद उन संधियों के लिये भी प्रासंगिक हो गया जो युद्धों को समाप्त करती थीं या शासकों के बीच समझौते करती थीं।

- संधियों में सद्भाव, पारस्परिकता, सिद्धांतों और भावना के प्रति सम्मान शामिल थे।
    - अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का सम्मान करना और युद्ध के कन्वेंशन का पालन करना नैतिक सिद्धांतों के विषय बन गए। किसी भी राष्ट्र को अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिये इनका उल्लंघन नहीं करना चाहिये।

नव यथार्थवाद

- केनेथ एन. वाल्ट्ज ने अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवाद का सुधार किया। उनके संस्करण को संरचनात्मक यथार्थवाद या नवयथार्थवाद कहा जाता है।
- वाल्ट्ज ने मानव स्वभाव और सत्ता के लिये संघर्ष पर मोर्गेंथाऊ की अटकलों को त्याग दिया। उनका तर्क है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में राज्य, घरेलू अर्थव्यवस्था में फर्मों की तरह, अस्तित्व की तलाश करते हैं।
- "अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राज्यों के कार्यों का वातावरण, या उनकी प्रणाली की संरचना, इस तथ्य से निर्धारित होती है कि कुछ राज्य अल्पावधि में प्राप्त होने वाले अन्य चीज़ों पर अस्तित्व को प्राथमिकता देते हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये सापेक्ष दक्षता के साथ कार्य करते हैं"
- नतीजतन वाल्ट्ज सत्ता और राज्य के व्यवहार को शास्त्रीय यथार्थवादियों से अलग तरीके से देखता है। मोर्गेंथाऊ ने दावा किया कि राज्य तर्कसंगत रूप से अपनी शक्ति को अधिकतम करना चाहते हैं। इसके विपरीत, वाल्ट्ज मानता है कि प्रत्येक राज्य सुरक्षा चाहता है और इसलिये वह अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में शक्ति के वितरण पर ध्यान केंद्रित करेगा।

मोर्गेंथौ की परिकल्पना

- सत्ता या रुचि राजनीति को अध्ययन का एक स्वतंत्र क्षेत्र बनाती है। तर्कसंगत राज्य अपने राष्ट्रीय हितों को साधते हैं। यह आधार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एक तर्कसंगत सिद्धांत का आधार हो सकता है। ऐसा सिद्धांत व्यक्तिगत राजनीतिक नेताओं की नैतिकता, धार्मिक विश्वासों, उद्देश्यों या वैचारिक प्राथमिकताओं को अप्रासंगिक मानकर उपेक्षा करता है।
- इसका तात्पर्य है कि राज्यों को नैतिक धर्मयुद्ध या वैचारिक टकराव से बचना चाहिये और केवल अपने पारस्परिक हितों की संतुष्टि के आधार पर समझौता करना चाहिये। इस तरह संघर्षों को रोका जा सकता है।

नवउदारवादी

- उदारवादी संस्थावादी (नवउदारवादी विचारकों का दूसरा नाम) का मानना है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय समझौतों, व्यवस्थाओं और संरचनाओं, जैसे कि विश्व व्यापार संगठन (WTO) जैसे बहुपक्षीय आर्थिक संस्थान, के साथ हथियार नियंत्रण समझौतों, जैसे कि सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि I और II (START I और START II) के निर्माण के माध्यम से सुरक्षा की मांग कर सकते हैं:
- राज्य इन संरचनाओं के माध्यम से एक-दूसरे को शामिल कर सकते हैं, शांतिपूर्ण सहयोग के मानदंड सीख सकते हैं और यथास्थिति (मौजूदा स्थितियों) में एक समान रुचि विकसित कर सकते हैं।
    - उदारवाद इमैनुएल कांट के काम से सबसे अधिक निकटता से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने तर्क दिया कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और लोकतंत्र के प्रसार के माध्यम से शांति प्राप्त की जाती है।

उत्तर आधुनिकतावाद

- उत्तर आधुनिकतावाद पश्चिमी दर्शन में एक आंदोलन है जो 20 वीं शताब्दी के अंत में उभरा। यह तर्कसंगत वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित आधुनिक पश्चिमी दार्शनिक सिद्धांतों से प्राप्त मूल्यों और विश्वदृष्टि को खारिज करता है।
    - इसका मानवीय तर्क में बहुत कम विश्वास है और वस्तुनिष्ठ ज्ञान की संभावना से इनकार करता है, विशेष रूप से सामाजिक विज्ञान में।
- उत्तर आधुनिकतावाद सामाजिक विज्ञान, कला और साहित्य के निष्कर्षों को व्यक्ति की व्यक्तिपरकता पर आधारित मानता है। यह मुख्यधारा के सामाजिक मूल्यों और संस्थाओं को संदेह की दृष्टि से देखता है।
- यह मानता है कि खुले या गुप्त विचारधारा के आधार पर समाज के प्रमुख वर्गों की राजनीतिक और सामाजिक शक्ति, सामाजिक विज्ञान और मानविकी में व्याप्त है।

नारीवाद

- नारीवाद के अनुसार, पुरुषों और महिलाओं के लेली समान अधिकार और अवसर होने चाहिये, यह महिलाओं के अधिकारों और हितों के समर्थन में एक संगठित गतिविधि है।
- **इस आंदोलन ने तीन चरण देखा है:**
    - **पहला चरण:** महिलाओं ने पुरुषों के साथ पूर्ण कानूनी समानता की मांग की, जिसमें पूर्ण शैक्षिक अवसर, समान मुआवजा और वोट देने का अधिकार शामिल है।
    - **दूसरा चरण:** यह कार्यस्थल में महिलाओं को सौंपी गई प्रतिबंधित भूमिका और महिलाओं को घरेलू क्षेत्र तक सीमित रखने की प्रवृत्ति को चुनौती देने से उत्पन्न हुई।
    - **तीसरा चरण:** यह 20 वीं शताब्दी के अंत में उठा और मध्यवर्गीय नारीवादियों को चुनौती देने और नस्ल, पंथ, आर्थिक या शैक्षिक स्थिति, शारीरिक उपस्थिति आदि की परवाह किये बिना सभी लोगों के लिये समान अधिकारों को शामिल करने के लिये नारीवाद के लक्ष्यों को व्यापक बनाने के लिये उल्लेखनीय थी।

अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता के नए आयाम क्या हैं?

- हाल के वर्षों में, राजनीतिक विचारकों ने अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता पर चर्चा का दायरा बढ़ाया है। सिद्धांत और समकालीन घटनाओं में परिवर्तन ने इस प्रवृत्ति में योगदान दिया।
- नए विषय जो अब अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता की चर्चाओं में शामिल हैं, निम्नलिखित हैं:
- अमीर देशों से कम विकसित देशों में संसाधनों का हस्तांतरण।
- विकसित और कम विकसित देशों के बीच आर्थिक आदान-प्रदान (व्यापार, वाणिज्य और वित्त) में असमानताओं को दूर करना।
- अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के कामकाज में विकसित देशों को अधिक शक्ति देना।
- अकाल और आपदा की चपेट में आए देशों को मानवीय सहायता।
- उन राज्यों में हस्तक्षेप जो नरसंहार, जातीय नरसंहार या अपने ही लोगों के खिलाफ युद्ध करते हैं।
- उन लोगों का प्रकृतिकरण जो किसी देश में प्रवास करते हैं और वहाँ बस जाते हैं।
- नैतिकता के प्रति राष्ट्रीय दृष्टकोण के स्थान पर एक महानगरीय दृष्टकोण को अपनाना।
- वर्ष 2015 में सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को वैश्विक लक्ष्यों के रूप में भी जाना जाता है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा गरीबी को समाप्त करने, ग्रह की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिये कि वर्ष 2030 तक सभी लोग शांति और समृद्धि का आनंद लें, कार्रवाई के लिये एक सार्वभौमिक आह्वान के रूप में अपनाया गया था।
- केवल अनिवार्य संसाधन हस्तांतरण से विकासशील देशों को चुनौतियों से उबरने में मदद नहीं मिल सकती है। अमीर देश गरीब देशों की मदद के लिये अपने व्यापार और अन्य नीतियों में सुधार कर सकते हैं।
- अमीर देशों में व्यापार, निवेश, प्रवास, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी नीतियों में बदलाव से गरीब देशों के लोगों को मदद मिलेगी। उन्हें पर्यावरण की रक्षा के उपायों को करने का मुख्य बोझ उठाना पड़ता है। इसे "सामान्य लेकिन विभेदित उत्तरदायित्व" के रूप में जाना जाता है।
- अमीर देशों को गरीब देशों में प्रौद्योगिकी हस्तांतरित करने के लिये अपनी नीतियों में उदार होने की जरूरत है। उन्हें गरीब देशों की सहायता करनी है, जिनमें से कई गंभीर विदेशी ऋण समस्याओं और अन्य चरम स्थितियों में फंस गए हैं। इस प्रकार देशों द्वारा नैतिक और नैतिक व्यवहार किया जाता है, और जो इन लक्ष्यों के हर पहलू को प्राप्त करने के लिये आवश्यक है।

अन्य राज्यों में हस्तक्षेप के दौरान क्या होता है?

- अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था का मूल मानदंड राष्ट्रों की स्वतंत्रता और संप्रभुता के लिये सम्मान है। इसका तात्पर्य यह है कि बाहरी शक्तियों को किसी राष्ट्र के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।
- इस तरह से हस्तक्षेप तब मान्य होता है जब कुछ आपात स्थितियों में संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद हस्तक्षेप को अधिकृत करती है।
- आपात स्थिति कई कारणों से उत्पन्न हो सकती है। मुख्य रूप से दो महत्त्वपूर्णपरिस्थितियों पर विचार किया जाता है:
  - जब कोई राज्य अपनी ही आबादी के खिलाफ नरसंहार करता है तो आपातकाल उत्पन्न हो सकता है। उदाहरण के लिए, हिटलर के अधीन नाजियों द्वारा साठ लाख यहूदियों की हत्या।
  - 'जातीय नरसंहार के कारण एक और आपात स्थिति उत्पन्न होती है। इसका मतलब है कि विविध आबादी वाले क्षेत्र में एक विशेष वर्ग को जबरन बेदखल कर दिया जाता है।
  - बेदखली के लिये लक्षित आबादी के वर्ग का चयन उसकी जाति, जातीयता या धर्म के आधार पर किया जाता है।

युद्ध और शांति का नैतिक आधार क्या है?

- युद्ध और शांति की नैतिकता पर विचार के तीन मुख्य स्कूल हैं- **यथार्थवाद, शांतिवाद, और न्यायपूर्ण युद्ध सिद्धांत (Just War Theory)।** अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुख्य सिद्धांत जस्ट वॉर थ्योरी से लिये गए हैं।
- **न्यायपूर्ण युद्ध सिद्धांत:** जस्ट वॉर थ्योरी के अनुसार, युद्ध शायद कई बार नैतिक रूप से सही होता है। हालाँकि कोई भी युद्ध रणनीतिक, विवेकपूर्ण या साहसिक होने के लिये प्रशंसनीय नहीं है। कभी-कभी युद्ध सामूहिक राजनीतिक हिंसा के नैतिक रूप से उपयुक्त उपयोग का प्रतिनिधित्व करता है।
  - मित्र देशों की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध को अक्सर एक न्यायपूर्ण और अच्छे युद्ध के निश्चित उदाहरण के रूप में उद्धृत किया जाता है।
  - जस्ट वॉर थ्योरी को तीन भागों में बांटा गया है जिनके लैटिन नाम हैं। ये भाग हैं:
    - जूस एड बेलम: पहली जगह में युद्ध का सहारा लेने के न्याय के बारे में।
    - जूस इन बेल्लो: यह युद्ध के भीतर आचरण के न्याय के बारे में है।
    - जूस पोस्ट बेलम: यह शांति समझौतों के न्याय और युद्ध की समाप्ति के चरण के बारे में है।
- **यथार्थवाद:** यह विदेश नीति के लिये न्याय जैसी नैतिक अवधारणाओं की प्रयोज्यता से इनकार करता है। सत्ता और राष्ट्रीय सुरक्षा युद्धकाल में राज्यों का मार्गदर्शन करती है, युद्ध की नैतिकता की बात काल्पनिक है।
  - वैश्विक राजनीति के कठोर क्षेत्र में नैतिकता की कोई भूमिका नहीं है। राष्ट्र सुरक्षा, दूसरों पर प्रभुत्व और आर्थिक विकास में नैतिक आदर्शों की परवाह किये बिना अपने महत्त्वपूर्णहितों को साधते हैं।
- **शांतिवाद:** यह मानता है कि नैतिकता अंतर्राष्ट्रीय मामलों के लिये प्रासंगिक है। शांतिवाद का तर्क है कि युद्ध कभी नहीं किया जाना चाहिए। यह युद्ध सिद्धांत मानता है कि कुछ युद्ध न्यायसंगत और अनुमेय हैं, शांतिवाद हमेशा युद्धों को प्रतिबंधित करता है।
  - शांतिवादी युद्ध को हमेशा गलत मानते हैं क्योंकि किसी भी समस्या का हमेशा युद्ध से बेहतर समाधान होता है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/morality-in-international-relations